

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला-जोधपुर

व इजलास-मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

नाबालिक पप्पू राम

MS लरकार

किस्म मुकदमा 136 एल.आर. एक्ट

प्रकरण संख्या :- 208 / 2024

-:आदेश :-

दिनांक :- 14/10/2024

प्रार्थी नाबालिक पप्पू राम

पुत्र श्री. किशनाराम लरकार
कली काली ककली

जाति आदी निवासी शेखावत तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर, राज. ने एक प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रेकॉर्ड में नाम दुरुस्ती का पेश किया है। प्रार्थना पत्र को जाँच हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को भेजा जावे।

तहसीलदार बिलाड़ा से जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार बिलाड़ा ने अवगत करवाया है कि ग्राम शेखावत की

जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 के खाता सं. 217 में दर्ज अशुद्ध नाम नाबालिक पप्पू राम पुत्र किशनाराम लरकार कली काली ककली

निवासी शेखावत का शुद्ध नाम नाबालिक पप्पू राम पुत्र किशनाराम

लरकार कली काली ककली जाति शेखावत निवासी शेखावत की राजस्व रेकॉर्ड में शुद्ध किये जाने हेतु सहमत है। अतः जाँच रिपोर्ट व पत्रावली का

अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट का दुरुस्ती के

अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

Wah
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा